

202603/08/14290022

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

गोपीराम बनाम् औमप्रकाश

प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रकरण सं.-13 सन् 2026

जी.सी.एम.एस नं.-2026/59

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/ दिनांक
09.03.2026	<p>आज प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश सोलकीं ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश होने पर पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब करके पत्रावली आईन्दा दिनांक 16.04.2026 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	
16/4/26	<p>पत्रावली प्रस्तुत/पदी व प्रतिवादी वकील उप श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक.. 26/5/26 को पेश हो।</p>	
20/5/26	<p>पत्रावली अस्तित्व नोदि काफिर जाट गरी/श्रीदई दिनांक 15/6/26 को पेश हो।</p>	
5/26	<p>पत्रावली राज वाड में राकीनाग पेश होउे पर पेशी में भी जमी जमी ने उकाण में निवेश किण कि लोककालर की उकाण से राकीनाग हो उपा हो व उकाण में कोड काफिकी नही गला-वाल हो कि उकाण के निवेश पर उकाण ही तल पर खरिज किण जात हो पत्रावली निफाउकार काखिल कमल देर नं. से कर हो।</p> <p style="text-align: center;">सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	<p>गोपी राम पुनरापेपरापेप डा गपा हो जो भायतरी - हो कक्ष - बारलाड</p> <p style="text-align: center;">सुरेश राव 27/5/26</p>